

अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शर्मा  
अधिवक्ता श्री महेश कुमार जागिड़, श्री बबलेश  
शर्मा

उक्त वादिया को स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 233  
खसरा नम्बर 235 रकबा 1.2500 हैक्ट, खसरा नम्बर 234  
खसरा नम्बर 232 रकबा 1.0000 हैक्ट, खसरा नम्बर 236 रकबा  
ग्राम गोकुलपुरा, पटवार हल्का गोकुलपुरा तहसील व जिला  
राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार वादिया व प्रतिवादी  
को उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार पक्षकरो द्वारा प्रस्तुत  
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना

आज तारीख 14.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की  
द्वारा



(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वर्गी	प्रतिवादी		
	रुपया		रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	36.00
स्टाम्प	14.00		
प्लीडर की	36.00		
निर्वाह-व्यय	12.00		
कुल	64.00	जोड़	36.00



उपखण्ड अधिकारी सीकर



इस आशय का पेश किया गया है कि पत्रावली का दिनांक 14.05.2024 को शाहीनामा के आधार पर निर्णय किया गया है। आदेशिका दिनांक 14.05.2024 के पृष्ठ संख्या 3 के दूसरी पंक्ति में "श्रीराम का नाम अंकित कर" लिखा गया है जबकि मूल शीर्ष में प्रार्थिया द्वारा "श्रीराम का नाम अंकित ना कर" लिखा गया है। प्रार्थिया/वादि्या ने उम्मानुसार संशोधन हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया गया कि लिपिकिय कुटी से "श्रीराम नाम अंकित कर" लिखा गया। अतः प्रार्थिया/वादि्या द्वारा के आवेदन को स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 14.05.24 में अंकित "श्रीराम का नाम अंकित कर" के स्थान पर "श्रीराम का नाम अंकित ना कर" लिखा लाल स्मॉल से अंकन किया पत्रावली पुनः कार्यालय दफ्तर हो।

उपरोक्त अधिकारी- सीकर